पेमाराम बनाम कानाराम आदि

किस्म मुकदमा– दावा मुकदमा नं0 101 /2015

[illegible]

पत्रावली वास्ते निर्णय आवेदन पत्र आपत्ति प्रार्थना–पत्र बाबत रिपोर्ट हल्का गिरदावर दिनांकित 4.7.16 एंव प्रा0पत्र बाबत प्रतिवादी सं0 2 लक्ष्मीनारायण पुत्र गणपतराम जाति कुमावत की मृत्यु दिनांक 13.3.16 को हो जाने पर प्रतिवादी सं0 2 का नाम हजफ किये जाने हेतु पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित । वकील प्रति0सं01/प्रार्थी कानाराम ने आवेदन पत्र आपत्ति प्रा0पत्र बाबत रिपोर्ट हल्का गिरदावर दिनांक 4.7.16 पेश कर निवेदन किया कि न्यायालय हाजा के निर्देशों की अवहेलना कर गि0ह0 द्वारा एकपक्षीय रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय हाजा में विभाजन प्रस्ताव दिनांक 4.7.16 को तैयार कर भिजवाया गया है,उसमें जो नक्शे में विभाजन वादी व प्रतिवादीगण के मध्य दर्शित किया गया है। वह मौके अनुसार सही नहीं है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व प्रतिवादीगण कानाराम,मदन, केसर, मोतीराम,अमरी बेवाह मोतीराम आदि की मौजूदगी में कोई कार्यवाही नहीं की गई ना ही कार्यवाही किये जाने से पूर्व सूचना ही प्रतिवादीगण को दी गई। हल्का गिरदावर ने वादी पेमाराम के कहे अनुसार तथा उसी के मकान पर बैठकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर लिया है,जो गलत है,नक्शा भी गलत बनाया है। आवेदन पेश कर विभाजन प्रस्ताव दिनांक 4.7.16 को अमान्य किया जाकर पुनः दीगर अधिकारी या नायब तहसीलदार,पलसाना द्वारा स्वंय पक्षकारों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के आदेश प्रदान करे।

वकील प्रति0सं01/प्रार्थी कानाराम ने आवेदन पत्र बाबत प्रतिवादी सं0 2 लक्ष्मीनारायण पुत्र गणपतराम जाति कुमावत की मृत्यु दिनांक 13.3.16 को हो जाने पर प्रतिवादी सं0 2 का नाम हजफ किये जाने हेतु पेश कर निवेदन किया है कि उनवानी वाद में प्रति0सं0 2 लक्ष्मीनारायण पुत्र गणपतराम कुमावत नि0 ग्राम भोजा की ढाणी बतौर प्रति0सं0 2 के रूप में पक्षकार है। उसका देहान्त दिनांक 13.3.16 को हो गया था तथा लक्ष्मीनारायण आंखों से अंधा व्यक्ति था तथा अविवाहित व्यक्ति था । प्रति0सं0 2 अपने छोटे भाई कानाराम के साथ ही रहता था तथा कानाराम ही अपने भाई लक्ष्मीनारायण का भरण एंव पालन पोषण करता था। अतः प्रा0पत्र पेश कर प्रति0सं0 2 लक्ष्मीनारायण पुत्र गणपतराम जाति कुमावत नि0 ग्राम भोजा की ढाणी का नाम हजफ करने हेतु निवेदन किया है।

वकील उभय पक्ष की बहस आवेदन–पत्र पर सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान वकील प्रार्थी/वादी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एंव आवेदन पत्र के अवलोकन से जाहिर है कि प्रति0सं0 2 लक्ष्मीनारायण प्रति0सं0 1 कानाराम का भाई था। कानाराम द्वारा प्रति0सं0 2 लक्ष्मीनारायण की मृत्यु दिनांक 13.3.16 को होना बताया है। अतः न्यायहित में प्रा0पत्र बाबत प्रति0सं0 2 लक्ष्मीनारायण पुत्र गणपतराम की मृत्यु दिनांक 13.3.16 को जाने पर प्रति0सं0 2 का नाम हजफ का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रति0सं0 2 लक्ष्मीनारायण पुत्र गणपतराम का नाम हजफ किये जाने के

इसके साथ ही आवेदन पत्र आपत्ति प्रार्थना–पत्र बाबत रिपोर्ट हल्का गिरदावर दिनांकित 4.7.16 के संबंध में प्रति0सं0 1 कानाराम द्वारा की गई आपत्ति आधारहीन होने से आवेदन पत्र आपत्ति प्रार्थना–पत्र बाबत रिपोर्ट हल्का गिरदावर दिनांकित 4.7.16 खारिज किया जाता है।

प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.6.16 की पालना में उप तहसीलदार,पलसाना ने अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/16/642 दिनांक 19.7.16 के द्वारा राजस्व ग्राम भोजा की ढाणी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर के आराजी ख0नं0 12,13,14,113,115,117,345,346,419 कुल किता 9 कुल रकबा 7.50 है0 के बाबत बंटवारा प्रस्ताव भिजवाया है।

अतः उप तहसीलदार,पलसाना से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव क्रमांक भू0अ0/16/642 दिनांक 19.7.16 के आधार पर वाद वादी फाईनल डिक्री किया जाता है । बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। यदि बैंक का रहन है तो यथावत रहेगा। मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। उपरोक्तानुसार फाईनल पर्चा डिक्री जारी हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर(मु0)सीकर

निर्णय आज दिनांक 29.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर(मु0)सीकर